

न्यायालय:- श्रीमती वर्षा सिंह भाटी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उमरिया (म.प्र.)

कमांक 328/16 C.J.M. /2024

उमरिया, दिनांक 31.05.2024

::रिमांड ड्यूटी::

मैं श्रीमती वर्षा सिंह भाटी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया म0प्र0 दं0प्र0सं0 1973 की धारा 14 एवं 15 तथा म0प्र0 दाण्डिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला उमरिया के लिए **जून एवं जुलाई 2024** में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अवकाश के दिनों में निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाती हूँ:-

क्र.	रिमाण्ड ड्यूटी की तारीख	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नाम
1.	16, 17 जून एवं 14 जुलाई 2024	श्रीमती वीणा खलखो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
2.	15 जून एवं 20, 21 जुलाई 2024	श्री आशीष धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
3.	23, 30 जून एवं 07, 17 जुलाई 2024	श्री मोहन डाबर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
4.	2, 9 जून एवं 28 जुलाई 2024	श्रीमती पल्लवी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
5.	मानपुर न्यायालय की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त सभी अवकाश दिवसों में	श्री अपूर्व मेहरोत्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मानपुर
6.	श्रीमती पूजा गोले, जेएमएफसी के मातृत्व अवकाश पर होने से पाली न्यायालय की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त सभी अवकाश दिवसों में	श्री गोपाल नंदन पाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिरसिंहपुर पाली
7.	कोई अचानक अवकाश होने पर माह जून में	श्री आशीष धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
8.	कोई अचानक अवकाश होने पर माह जुलाई में	श्रीमती पल्लवी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया


टीप:- न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी दोपहर पश्चात 3:00 बजे से 5:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में अपने कर्मचारियों के साथ उपस्थित होकर सम्पादित करेंगे। किसी कारणवश उक्त कार्य सम्पन्न करने की असमर्थता की स्थिति में अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वह वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर मुख्यालय अनुमति मिलने के पश्चात, इस न्यायालय को सूचित कर मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे। रिमाण्ड अवधि में आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित न्यायिक अधिकारी सी.जे.एम. को लिखित सूचना देने एवं मुख्यालय अनुमति मिलने के उपरान्त ही रिमाण्ड ड्यूटी से विरत होंगे।

(श्रीमती वर्षा सिंह भाटी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला उमरिया (म0प्र0)

P.T.O.

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस अधीक्षक, जिला उमरिया म0प्र0।
2. श्रीमती वीणा खलखो, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0।
3. श्री आशीष धुर्वे, जेएमएफसी उमरिया जिला उमरिया म0प्र0।
4. श्री मोहन डाबर, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0।
5. श्रीमती पल्लवी सिंह, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0।
6. श्री अपूर्व मेहरोत्रा, जेएमएफसी मानपुर जिला उमरिया म0प्र0।
7. सुश्री पूजा गोले जेएमएफसी बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया म0प्र0।
8. श्री गोपाल नंदन पाल, जेएमएफसी बिरसिंहपुर पाली जिला।
9. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ जिला उमरिया म0प्र0।
10. निष्पादन लिपिक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उमरिया की ओर माननीय के समक्ष प्रस्तुत करने बावत्।
11. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय उमरिया की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. जिला नाजिर उमरिया की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे रिमांड ड्यूटी के समय मेन गेट एवं न्यायालय कक्ष खुलवाये।



(वर्षा सिंह माटी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला उमरिया (म0प्र0)